न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **4303 सन् 2026**,
पवन सिंह पुत्र रामकिशन निवासी जटटारी अडडा वार्ड नं० 5 अत्री जनसेवा केन्द्र वाली गली कस्बा व थाना पिसावा जिला अलीगढ

.....आवेदक/अभियुक्त ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः—800 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः— 317(5) व 317(2) बी.एन.एस.
थानाः— खुरजानगर, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

01. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. संक्षेप में प्राथमिकी के कथन इस प्रकार है कि दिनांक 19.07.2026 को उ०नि० संदीप कुमार के नेतृत्व वाली पुलिस टीम द्वारा स्थान चन्द्रलोक कालोनी वाले रास्ते पर समय 23.39 बजे अनिल, प्रमोद, सलीम (आवेदक/अभियुक्त), असलम (आवेदक/अभियुक्त), पवन को गिरफ्तरार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिले, तमंचा व नाजायज चाकू आदि बरामद किया गया। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.07.2026 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की मांग की है।

06. अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

07. अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का सामान बरामद होने का आरोप अभिकथित है।

प्रकरण की प्राथमिकी में आवेदक/अभियुक्त नामित नहीं है। यद्यपि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। सहअभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.08.11 17:05:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

आवेदक/अभियुक्त ***पवन सिंह*** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल की जायेगी।
3. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर,
J.O. Code–UP 2015

दिनांक : 11.08..2026
शुभम दिवाकर. आशुलिपिक